न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–70 / 2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री बालूसिंह पिता ईश्वर सिंह झाला निवासी म0नं0 328–ए, विजयसिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा त0 एवं जिला भीलवाड़ा ––अपीलार्थी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 20 / 09 / 2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 19.07.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 763755 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.07.2017 को प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.07.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 29/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को दिनांक 06.09.2017 की पेशी का सूचना पत्र जारी किया गया। नियत दिनांक 06.09.2017 को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ एवं प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब का अवसर चाहे जाने पर पत्रावली दिनांक 11.09.2017 नियत की गई। नियत दिनांक 11.09.2017 को प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भिजवाने का अंकन है। उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने से आगामी दिनांक 18.09.2017 नियत की गई। दिनांक 18.09.2017 को भी पीठासीन अधिकारी के प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने से आगामी दिनांक 20.09.2017 नियत की गई।

दिनांक 20.09.2017 को अपीलार्थी उपस्थित नहीं एवं प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रतिवेदन पत्रांक 187–88 दिनांक 11.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना जरिये डाक दिनांक 11.09.2017 को भिजवा दी गई । अपीलान्ट ने सूचना के खण्डन के सम्बन्ध में नियत दिनांक 06.09.2017 को उपस्थित नहीं हुआ न ही सूचना के सम्बन्ध में खण्डन प्रस्तुत किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हमने प्रत्यर्थी को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया उपरोक्त विवेचन के अनुसार वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा निःशुल्क जरिये डाक दिनांक 11.09.2017 को भिजवाया जाना प्रत्युत्तर के साथ संलग्न पोस्टेज पंजिका में दिनांक 11.09.2017 में क्रम संख्या 12 पर दर्ज एन्ट्री से सिद्ध होता है। स्वयं अपीलान्ट बावजूद सूचना के न तो उपस्थित हुआ न ही सूचना नहीं मिलने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का खण्डन प्रस्तुत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित की गई सूचना से सन्तुष्ट है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा